उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 900 / ix–1 / 42(2014) / 2020
दिनांक 14 जुलाई, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड़ मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड़ अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 8क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के उत्तराखण्ड़ राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली, 2015 में संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड़ राज्य शहरी परिवहन निधि (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त उत्तराखण्ड़ राज्य शहरी परिवहन निधि (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड़ राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली, 2015, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नियम 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3.निधि का गठन–निधि का गठन अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन उदगृहित, उपकर के रूप में वसूल धनराशि जमा करते हुए किया जाएगा।	**3.निधि का गठन**–निधि का गठन अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत ग्रीन सेस के रूप में प्राप्त और नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसार जमा धनराशि से किया जायेगा।

नियम 6 का संशोधन 3 मूल नियमावली के हिन्दी पाठ में नियम 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेगें, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) निधि का रख–रखाव परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय मे होगा।	(2) निधि का रख–रखाव परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में होगा।
(3) प्रत्येक संभागीय / उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि को देहरादून स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस निमित्त खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा; परन्तु यह कि यदि किसी संभाग / उप	(3) राज्य सरकार से उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त धनराशि को देहरादून स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस निमित्त खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा। खाते में अर्जित ब्याज, निधि का भाग माना जाएगा और तदनुसार सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नियम 4 एवं 9 में उल्लिखित कार्यो के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

17-9/IX-1/...

...ाग पर सम्बन्धित बैंक की सीबीएस ...खा उपलब्ध है, तो उस क्षेत्र का ...धिकारी बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर सीधे खाते में धनराशि जमा करायेगा और उसकी सूचना मासिक/क्रमिक रूप से परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, कार्यकारिणी को प्रेषित करेगा;

परन्तु यह और कि यदि वाहन स्वामी द्वारा उपकर का भुगतान ऑन–लाइन आधार पर किया जाता है, तो ऑन–लाईन कर वसूल करने वाले बैंक द्वारा उपकर की धनराशि को सीधे इस खाते में जमा किया जायेगा और यान स्वामी उसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड रसीद के द्वारा सम्बन्धित सम्भागीय/उपसम्भागीय अधिकारी को देगा, खाते में अर्जित ब्याज, निधि का भाग माना जायेगा और उक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नियम 4 एवं 9 में उल्लिखित कार्यो के प्रयोजनार्थ किया जायेगा।

आज्ञा से

(शैलेश बगौली)
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 200 dated 14 June, 2020 for general information.

Uttarakhand Shasan
Parivahan Anubhag-1
No. 198/ix-1/42(2014)/2020
Dehradun, Dated 14 July, 2020
Notification

In exercise of the powers conferred under section 8A of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act No. 12 of 2003), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttarakhand State Urban Transport fund rules,2015.

The Uttarakhand State Urban Transport Fund (Amendment) Rules, 2020

Short title and commencement	1	(1) These rules may be called the Uttarakhand State Urban Transport Fund (Amendment) Rules, 2020. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
Amendment of rule 3	2	In the Uttarakhand State Urban Transport Fund Rules,2015 herein referred to as principal rules, for the existing rule 3 setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 rule hereby substituted
3. Constitution of Fund- The fund shall be constituted by depositing the amount recovered as Cess levied under sub section (5) of section 4 of the Act.	3. Constitution of Fund- The Fund shall be constituted from the Green cess collected under sub-section (5) of section 4 of the Act and the amount received under clause (b) of sub rule (1) of rule 6.

Amendement of rule 6	3	In english version of the principal rules in rule 6 for the existing sub-rule (2) and sub-rule (3) as setout in column-1 below the sub-rules as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 rule hereby substituted
(2) The Fund shall be maintained in the office of the Transport Commissioner, Uttarakhand, Dehradun. (3) Every regional and sub regional transport offices shall deposit the amount of	(2) The Fund shall be maintained in the office of the Transport Commissioner, Uttarakhand, Dehradun. (3) The amount received under clause (b) of sub-rule (1) from the State

. . . of the Constitution of India, the

the Cess, received by it, through bank draft in the saving bank account opened for this purpose in any of the nationalised bank;

Provided that if, C.B.S Branch of the concerned bank is available at any regional or sub regional offices, then the officer of such region, instead of the bank draft, shall directly deposit the amount in the account and shall send its information monthly and progressively to The Transport Commissioner/the Chairman Executive Committee;

Provided further that if the Cess is paid by the vehicle owner on on-line basis then the bank who recovered the Cess on–line shall deposit it directly in this account and its information shall be given by the vehicle owner to the concerned regional or sub regional officer, as the case may be, through electronic generated receipt. The interest received in this account shall be deemed to be the part of the fund and the whole amount as above shall be utilized for the works mentioned in rule 4 and 9.

Government shall be deposited in the saving bank account opened for this purpose in any of the nationalized bank. The interest received in this account shall be decmed to be the part of the fund, and the whole amount as above shall be utilized for the purpose of works mentioned in rule 4 and 9.

By Order

(Shailesh Bagauli)
Secretary.